

सम्पत्ति अवभार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 975 / 2022

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Nilam Sinto through Adv. Manish Kr. ने मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० up to date तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है-

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निरस्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मुल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्कर्षक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Gytuwty No- 138 Ranchi Khata No. 172 plot No. 342 Sub plot no- 1718 & 19 Area 21.75 dec.				NIC			

दस्तावेजों के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-बचक -पत्र की दशा में व्याज का दर और गुणतान की अवधि दर्ज करें। वशत कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर *[Signature]*

(पदनाम):- 18-7-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर

(पदनाम):-

कार्यालय S. R. O. Ranchi

तारीख 18-7-22



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

18-7-22

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निबधित दरतावेजों में दिखाया गया हो तो वसी दरतावेजों के प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निम्न अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतिष्ठितों देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिष्ठितों लेना चाहते हो अथवा जिन्हें निविदिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित कानून का पुरतान करने पर बहियों एवं अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी गलत के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

श्री 294 रीजि. 6. 18-7-22 P.P. Nilam Sinha 4, no 30 50  
4x manager S. B. I. Ranchi को J.A. 1

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (काके)

18-7-22

सम्पति अवभार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 979/2022

आवेदन सं०.....

शुक्ति श्री Sunil Kr. Singh Shroff Ar. Mawish Kr. मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में ओर उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० ..... से ता० ..... तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है:-

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निस्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	पृष्ठ	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Guntur No. 138 Ranchi Khata No. 172 plot no. 342 Sub plot no. 11, 12 & 13 Area - 16.25 dec.				MIL			

दस्तावेजों के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-कचक - पत्र की दशा में व्याज का दर और गुणतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक तमान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ा उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर *Sum*

(पदनाम)- 18-7-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

(पदनाम)-

कार्यालय S.R.O. Kanur

तारीख 18-7-22



निकटन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

18-7-2022

टिप्पणी- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निवधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों के प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निम्न अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनकगणियों (इन्डेक्स) की प्रतिलिपियाँ देखना चाहते हैं अथवा जो उनके प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का गुप्तान करने पर बहियों एवं अनकगणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु बुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी विभाग की किसी गूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और बुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

दि 29/7/22 री. दि. 18-7-22 By S. K. Singh का. 403.

So 4th Manager S. B. I. Bench का. 403.

निकटन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (काके)

18-7-22

सम्पति अवभार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 978/2022

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Vibha Singh through Adv. Manish Verma मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण - पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० ..... से ता० ..... तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है-

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	नियंत्रण की तिथि	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्कारक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Guntur no- 138 Ranchi Khata no. 172 plot no. 342 Sub plot no. P & S Area - 10.33 dec.				MIC			

दस्तावेजों के अनुसार विवरण दर्ज करें

1- बंधक - पत्र की दशा में व्याज का दर और मूगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2- पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ा उक्त संपत्ति को प्रमावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया-

हस्ताक्षर *ASum*

(पदनाम)- 18-7-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर

(पदनाम)-

कार्यालय S. B. I. Ranchi

तारीख 18-7-22



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
18-7-22

टिप्पणी- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से विभिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों को प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की भांश 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनाकगणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिनिधि बना चाहते हो अथवा किन्हीं निनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगी। निबंधन फीस का गुप्तान करते पर बहियों एवं अनाकगणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चुके वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी निबंधन प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी गूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चुके वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए सव्यवहारों और अवमारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए किमाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे सव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रमाव पडता हो।

श्री 294 राँची, दि. 18-7-22 By Vibha Singh फीस नं. 20  
44 Manager, S. B. I. Ranchi का प्रमाण,

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (कांठे)

18-7-22

सम्पति अवभार प्रमाण - पत्र

976  
प्रमाण पत्र सं०...../202०

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Ramesh ch. Singh & other through Adv. Manish kver. ने मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में ओर उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० up to date की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है:-

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Guthwag no-138 Ranch Khata no. 172 plor no. 342 sub plor no-14 15 16 Area- 32 $\frac{1}{2}$ dec.				NIC			

दस्तावेजों के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-काच -पत्र की दशा में व्याज का दर और मुगलान की अवधि दर्ज करें। बशत कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ा उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर Asamm

(पदनाम)- 18-7-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

(पदनाम)-

कार्यालय S.R.O. Kanur

तारीख 18-7-22



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

18-7-22

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निवृद्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों को प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डैक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निम्न अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बंदिगों और अनुक्रमणियों (इन्डैक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिनिधि लेना चाहते हो अथवा किन्हीं निवृद्धित संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। किन्हीं कौनों का मुकाम करने पर बंदिगों एवं अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपने भरसक सहायकी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी गूँस के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

नो 994 सि.पी. डि. 18-7-22 अप्र. R. Ch. Singh & Others vs  
नो 20 नु 431 Manager S. B. I. Bank vs. State

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (काके)

18-7-22

सम्पत्ति अवभार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 973/2022

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Babits Singh through Adv. Manish Kr ने मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० up to date तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है:-

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निस्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Guntur No. 138 Ranchi Khata No. 172 plot No. 342 sub plot No. 11 & 13 A Area- 16.25 dec.				NIL			

दस्तावेजों के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-काल - पत्र की दशा में व्याज का दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशात कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर B. Kumar

(पदनाम)- 18-7-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर.....

(पदनाम)-

कार्यालय S. B. I. Ranchi

तारीख 18-7-22



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
18-7-22

टिप्पणी.- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की विवक्षित दरतावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दरतावेजों के प्रमाणित सव्यवहारों (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिनिधि केना चाहते हो, अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। गिरफ्त फीस का नुगतान करने पर बहियों एवं अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सक्धानी से की है। फिर भी विमान प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी मूल को लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विमान आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

सा 294 दि. 18-7-22 Dyp. Babita Singh को no 30 50

44 Manager S. B. I. Ranchi को 3/19/22

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (कांके)

18-7-22

सम्पति अवभार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 974/2022

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Manish Kumar Shrivastava Adv. ने मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित सव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० 4 to 20 तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है -

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Guthawas No-138 Ranchi Khatra No. 172 plot No. 342 Sub plot No-20 Area- 10.17 dec.				NIL			

दस्तावेजों के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-कचक -पत्र की दशा में व्याज का दर और मुगतान की अवधि दर्ज करें। वशत कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक तमान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ा उक्त संपत्ति को प्रमावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया--

हस्ताक्षर Arum

(पदनाम)-- 18-7-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर.....

(पदनाम)--

कार्यालय S. R. O. Kankar

तारीख 18-7-22



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

18-7-22

टिप्पणी-- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों को प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निम्नलिखित अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनकगणियों (इन्डेक्स) की प्रतियों देखना चाहते हैं अथवा जो उनके प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित कौशल का गुणवत्ता करने पर बहियाँ एवं अनकगणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चुंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी किमाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी गूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चुंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़ गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए किमाग आवेदक द्वारा न दूढ़ गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रमाव पडता हो।

जा 294 दिनी, दि. 18-7-22 अथ. Manish पर का. क. ड. 50 प. 1  
Manager S. B. I. Ranch का उला,

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (कांके)

18-7-22